न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 23/2016 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. छोटूराम पुत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासी बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. भोलाराम पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासीयान बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

.... असल रेस्पोडेन्ट

2. ओमप्रकाश पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा
3. चेतराम पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासीयान बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. गीता पुत्री छोटूराम पौत्र भीन्डूराम पत्नि भरतलाल जाति मीणा
5. बत्तो पुत्री छोटूराम पौत्र भीन्डूराम पत्नि लालाराम जाति मीणा निवासी ग्राम दीवली पहाड़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

.....................तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1.श्री जनार्दन शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री निरंजन लाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0।

अपील सं0 :– 19/2016 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. छोटूराम पुत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासी बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

.... अपीलांट

बनाम

बउनवान छोटूराम बनाम भोलाराम
अपील सं0 23/2016 एवं 19/2016

1. भोलाराम पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासीयान बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0

.... असल रेस्पोडेन्ट

2. ओमप्रकाश पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा
3. चेतराम पुत्र छोटूराम पौत्र भीन्डूराम जाति मीणा निवासीयान बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. गीता पुत्री छोटूराम पौत्र भीन्डूराम पत्नि भरतलाल जाति मीणा
5. बत्तो पुत्री छोटूराम पौत्र भीन्डूराम पत्नि लालाराम जाति मीणा निवासी ग्राम दीवली पहाड़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

.....................तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
6.श्री जनार्दन शर्मा, अभिभाषक अपीलांट
7.श्री निरंजन लाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.12.2019

यह दोनों अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ अदालत में वादी/रेस्पो0 भोलाराम पुत्र छोटूराम द्वारा एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 80, 81, 82, 83, 109, 110, 111, 119, 120, 122, 123, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 212, 213, 214, 217, 218 कुल किता 25 रकबा 8.70 हैक्टेयर का 1/4 हिस्सा एवं खसरा नंबर 31, 32, 42, 74, 76, 1052 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 है0 एवं आराजी खसरा नंबर 138, 116, 117, कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 है0 के 1/6 हिस्सा वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं असल अप्रार्थीगण के पिता असल अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है जो भीन्डूराम का स्वर्गवास होने के उपरान्त असल अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है।असल अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से तन्हा कोई संबंध सरोकार कब्जा नही है। और सालिम विवादित आराजी पर असल अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है लेकिन असल अप्रार्थीगण संख्या 1 जोकि प्रार्थी का पिता है जो काफी बृद्ध है और उसके सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। असल अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के बहकावे व प्रभाव में आकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में होने का नाजायज फायदा उठाते हुये रहन बय हिबा आदि से हस्तांतरित करने को उतारू हो रहे हैं आदि आदि पर मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की जिस पर मिन अपीलांट ने हाजिर होकर जबाव पेश किया एवं प्रार्थी रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र

खारिज करने की प्रार्थना की जिस पर बाद बहस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 को पाबंद फरमाया है। जिस निर्णय दिनांक 18.01.2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। इन दो अपीलों के पक्षकार, तथ्य समान हैं अतः निर्णय के बिन्दु समान होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी से रेस्पो0 संख्या 1 का कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नही है और ना ही कभी रहा है तथा विवादित आराजी तन्हा खातेदार काश्तकार मिन अपीलांट है। जो कि राजस्व रिकार्ड से पूरी तरह साबित है जिस स्थिति में मिन अपीलांट को पाबंद किया जाना न्यायसंगत नही था। मिन अपीलांट अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अपीलांट पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं। जिस स्थिति में भी रेस्पो0 को मिन अपीलांट की आराजी में कोई हक व अधिकार नही है और ना ही मौके पर कभी रेस्पो0 काबिज रहे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके का अवलोकन नही किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी प्रार्थी द्वारा मांगी गई रिलीफ से बाहर जाकर अपना निर्णय पारित किया है जबकि मिन अपीलांट आराजी खसरा नंबर 80, 81, 82, 83, 109, 110, 111, 119, 120, 122, 123, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 212, 213, 214, 217, 218 कुल किता 25 रकबा 8.70 हैक्टेयर का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ अदालत द्वारा प्रार्थना पत्र के निर्णय के संबंध में तीन मुख्य बिंदुओं का विस्तृत रूप से विवेचन नही किया। प्रतिवादीगण अपीलांट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिस स्थिति में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नही था।अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की संज्ञा में नही आता है। पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 18.01.2016 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 80, 81, 82, 83, 109, 110, 111, 119, 120, 122, 123, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 212, 213, 214, 217, 218 कुल किता 25 रकबा 8.70 हैक्टेयर का 1/4 हिस्सा एवं खसरा नंबर 31, 32, 42, 74, 76, 1052 कुल किता 6 कुल रकबा 2.39 है0 एवं आराजी खसरा नंबर 138, 116, 117, कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर रेस्पो0 व अपीलांट की मुश्तर्का खानदान की अविभाजित पैतृक आराजी है जो कि उनके दादा/पिता भीन्डूराम पुत्र भगवान की विरासत से प्राप्त हुई है। जिस आराजी में भोलाराम को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं असल अप्रार्थीगण के पिता असल अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज है जो भीन्डूराम का स्वर्गवास होने के उपरान्त असल अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। मौके पर सामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और जमा सरकारी अदा कर रहे हैं। विवादित आराजी के हर इंच इंच पर सामलाती कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी का

पक्षकारान के मध्य आज तक कोई विधिक विभाजन लिखित या मौखिक नही हुआ है। अपीलांट ने विवादित आराजीयात के भाग को पूर्व में बेच दिया एवं अब भी विक्रय करने की जुस्तजू में है। यदि आराजीयात को विक्रय कर दिया गया तो दावा का प्रायोजन निष्फल हो जायेगा। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 18.01.2016 का अवलोकन किया गया ।

विवादित आराजीयात भीन्डू पुत्र भगवान मीणा के नाम दर्ज रही है। उसके फौत के पश्चात संवत 2071–74 में छोटूराम पुत्र भीन्डूराम के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति रही है। अपीलांट, रेस्पो0 के पिता हैं, विवाद पिता–पुत्र में है। विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में पौत्र का हक निहित होता है। जब जन्मजात हक है तो संपत्ति में उक्त रेस्पो0 सहखातेदारान है। सभी सहखातेदारान का शामलाती आराजीयात के प्रत्येक भू–भाग पर कब्जा होता है। भूमि का अभी विभाजन होना बाकी है, विभाजन किस प्रकार के कानून के अंतर्गत होगा, यह विषय मूल वाद के बिंदु हैं। प्रकरण में अविभाजित आराजीयात पर परिवार के सभी सदस्यों(सहखातेदारों) का कब्जा होता है। अतः जब तक मूल वाद का निर्णय नही हो जाता है, वाद में बहुलता नही बढे, इस कारण न्यायालय का विनम्र मत है कि विवादित आराजीयात की यथास्थिति रखी जावे। इस प्रकरण में तहत अदालत द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 18.01.2016 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाये जाने के कारण अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही है।

अतः अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 18.01.2016 यथावत रखा जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर